UPLK010207022025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

पीठासीन अधिकारी : मलखान सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP01998

<u>दाण्डिक निगरानी संख्या–732/2025</u>

1. अंकुर अग्रवाल, पुत्र अजय कुमार अग्रवाल,
निवासीः मकान सं0ः 414/(003)(002)ए, सराय माली खां,
चौक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश .....**निगरानीकर्ता/आवेदक।**

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य,
2. पायल अग्रवाल, पुत्री महावीर प्रसाद,
3. डॉ० कोमल अग्रवाल, पुत्री महावीर प्रसाद,
4. महावीर प्रसाद, पुत्र अज्ञात,
5. पूनम अग्रवाल, पत्नी महावीर प्रसाद,

निवासीगण (2 से 5) मोहल्ला बाज़ार 2, कस्बा पलिया,
जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश .....**विपक्षीगण।**

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अंतर्गत धारा–438/440 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–2715/2025, अंकुर अग्रवाल बनाम पायल अग्रवाल व अन्य, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ के प्रकरण में पारित विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचम, न्यायालय संख्या–29, लखनऊ के आदेश दिनांकित 17.09.2025, जिसके द्वारा आवेदक अंकुर अग्रवाल का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किया गया है, के विरुद्ध उक्त वाद के आवेदक द्वारा योजित की गयी है।

2. निगरानी से सम्बन्धित वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता/आवेदक अंकुर अग्रवाल द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उसका विवाह दिनांक 09.12.2024 को पायल अग्रवाल के साथ हुआ था, विवाह के कुछ समय बाद पायल अग्रवाल गर्भवती हो गयी थी, वह गर्भधारण से खुश नहीं थी, उसने अपनी बहन डॉ० कोमल अग्रवाल को मायके ले जाने के लिये बुलाया और दिनांक 14.01.2025 को समय लगभग 02:48 बजे दिन में अपने मायके चली गयी, जहाँ अपनी बहन कोमल अग्रवाल, माता पूनम अग्रवाल व पिता महावीर प्रसाद के साथ षड़यंत्र करके अवैध रूप से गर्भपात करा दिया और उसे छिपाने हेतु आवेदक को नपुंसक बताते हुए झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 को थाना पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी में आवेदक व उसके परिवार के विरुद्ध दर्ज करा दी। आवेदक द्वारा उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु थाना चौक, लखनऊ में दिनांक 13.05.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उक्त अपराध/घटना का आंशिक वाद कारण थाना ठाकुरगंज, लखनऊ के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है,

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर, विवेचना किये जाने हेतु सम्बन्धित थाने की पुलिस को आदेशित किये जाने का निवेदन किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त अपना मत व्यक्त करते हुए आदेश दिनांकित 17.09.2025 से आवेदक का उक्त प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दिया गया।

3. निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को विचार में नहीं लिया गया है कि वाद कारण जनपद लखनऊ के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ था, क्योंकि विपक्षी संख्या–2 गर्भपात कराने के षड़यंत्र से ही दिनांक 14.01.2025 को निगरानीकर्ता के घर से गयी थी और यह स्थापित सिद्धान्त है कि षड़यंत्र की रचना या उसका क्रियान्वयन जिस भी स्थान पर किया जायेगा, वह स्थान क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आयेगा। निगरानीकर्ता द्वारा यह स्पष्ट उल्लिखित किया गया है कि अवैध गर्भपात का सटीक स्थान उसे पता नहीं है। विचारण न्यायालय ने धारा–210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जांच का आदेश देने की अपनी शक्ति को नजरअंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने इस चिकित्सीय साक्ष्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि सुश्रुत अस्पताल, लखनऊ द्वारा दिनांक 10.01.2025 को विपक्षी संख्या–2 के गर्भवती होने की पुष्टि की थी। इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि विपक्षी संख्या–2 द्वारा अवैध गर्भपात को छिपाने हेतु दिनांक 21.04.2025 को थाना पलिया, लखीमपुर खीरी में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उक्त तथ्य प्रकरण की विवेचना कराने हेतु प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं, जिनका संज्ञान न लेते हुए विचारण न्यायालय ने यांत्रिक रूप से निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है और षड़यंत्र व निरन्तर अपराधों के मामलों में लागू होने वाले क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के सिद्धान्त को लागू नहीं किया है, जबकि प्रकरण गर्भपात जैसे गम्भीर अपराध से सम्बन्धित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.09.2025 को अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र पर पुनः आदेश पारित करने हेतु निर्देशित करने अथवा थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ की पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया गया।

विपक्षी संख्या–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि प्रस्तुत निगरानी निराधार है, क्योंकि आक्षेपित आदेश विधिनुसार पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है, अतः प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या–2 से 5 तक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति शपथ–पत्र बी–12 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रस्तुत निगरानी में कोई युक्तियुक्त आधार उल्लिखित नहीं किया गया है। कथित वाद कारण लखनऊ क्षेत्र में उत्पन्न होने के सम्बन्ध में प्रश्नगत आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दिया गया है। गर्भपात कारित करने का अपराध सतत् अपराध नहीं है और न ही वह जारी रखने वाला अपराध है और आपराधिक षड़यंत्र की परिभाषा के दृष्टिगत विपक्षीगण द्वारा न तो कोई अवैध कार्य दिनांक 14.01.2025 को लखनऊ में किया गया है, न ही कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को विपक्षीगण सहमत हुए हैं। विपक्षीगण की केवल सहमति आपराधिक षड़यंत्र तब तक नहीं होगी, जब तक सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में विपक्षीगण द्वारा एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। निगरानीकर्ता

द्वारा मात्र एक अंदेशा व कपोल कल्पित उपधारणा की गयी है। निगरानीकर्ता ने दिनांक 13.05.2024 को थाना चौक, लखनऊ में शिकायत आवेदन देने का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में उक्त आवेदन थाना ठाकुरगंज, लखनऊ को सम्बोधित है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विपक्षीगण के ऊपर फर्जी दबाव बनाकर थाना पलिया जनपद लखीमपुर खीरी में दर्ज मुकदमे को वापस कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत आदेश पूर्णतया विधिक है, अतः प्रस्तुत निगरानी याचिका को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

निगरानीकर्ता की ओर से रिज्वाईंडर शपथ पत्र बी–13/2 प्रस्तुत कर विपक्षीगण द्वारा दाखिल शपथ पत्र में किये गये अभिकथनों से इंकार किया गया और निगरानी मेमो में किये गये अपने अभिकथनों की पुनरावृत्ति की गयी तथा अतिरिक्त कथन किया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा दिये गये शपथ पत्र व संलग्नकों से गम्भीर संज्ञेय अपराध का होना पाया जाता है तथा अवैध गर्भपात के सटीक स्थान की जानकारी पुलिस विवेचना के बाद ही ज्ञात हो सकती है। घटनास्थल की सटीक जानकारी न होने के कारण क्षेत्राधिकार का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि किसी विशेष पुलिस थाने को विपक्षी द्वारा किये गये अपराध की जांच करने का अधिकार है तो प्रकरण को उस थाने में स्थानान्तरित किया जा सकता है। यदि थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ में निगरानीकर्ता की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षी द्वारा किये गये अपराध की जांच नहीं की जाती है तो विपक्षी अपने अपराध के लिये बिना सज़ा के रह जायेंगे। सुश्रुत अस्पताल की चिकित्सीय अभिलेख दिनांकित 10.01.2025 व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–139/2025, जिसमें गर्भधारण के सम्बन्ध में कोई चुप्पी साधना तथा नपुंसकता का झूठा आरोप लगाना प्रथम दृष्ट्या प्रकरण की जांच हेतु पर्याप्त है, जबकि विपक्षी द्वारा कोई भी चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः विपक्षी का प्रति शपथ पत्र निरस्त कर, निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्थाः अजय अग्रवाल बनाम भारत संघ व अन्य, निर्णीत दिनांकित 05.05.1993 दाखिल की गयी है।

4. प्रस्तुत निगरानी पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.09.2025 का सम्यक् अवलोकन किया तथा निगरानीकर्ता द्वारा उद्धृत विधि व्यवस्था का ससम्मान् अवलोकन किया।

5. निगरानीकर्ता का कथन है कि उसकी पत्नी विपक्षी संख्या–2 विवाहोपरांत गर्भवती हुई तथा दिनांक 14.01.2025 को अपने मायके चली गई, जहाँ विपक्षीगण के साथ मिलकर उसका अवैध गर्भपात कराया गया। निगरानीकर्ता का तर्क है कि गर्भपात कराने का षड़यंत्र लखनऊ में रचा गया, अतः अपराध का आंशिक वाद कारण लखनऊ में उत्पन्न हुआ और थाना ठाकुरगंज, लखनऊ को जांच का अधिकार प्राप्त था।

विपक्षीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि कथित गर्भपात यदि हुआ भी हो तो उसका स्थान लखीमपुर खीरी बताया गया है। मात्र लखनऊ से मायके जाना किसी अपराध का भाग नहीं माना जा सकता। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस तथ्य वर्णित नहीं है जिससे यह स्थापित हो कि किसी आपराधिक कृत्य अथवा षड़यंत्र का कोई अंग लखनऊ में घटित हुआ।

विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.09.2025 में क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए धारा–175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लेख किया है और यह सम्प्रेक्षित किया है कि संदर्भित धारा में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उसी दशा में किया जाना समीचीन है, जबकि, मजिस्ट्रेट को उस प्रकरण के अंतर्गत धारा–210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त हो। प्रश्नगत आदेश में विचारण न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि ध्यातव्य है कि प्रार्थना पत्र के प्रस्तर–4 में डॉ० कोमल अग्रवाल को बुलाकर दिनांक 14.01.2025 को दिन में लगभग 02:48 बजे पर स्नेहपूर्ण माहौल में प्रेमपूर्वक सबके साथ मिलकर अपनी बड़ी बहन के साथ खुशी–खुशी अपने मायके जाने की बात का उल्लेख स्वयं प्रार्थना पत्र में ही कहा गया है। यह भी है कि प्रार्थी की ससुराल व मायका विपक्षी संख्या–1, मोहल्ला बाजार कस्बा पलिया, जनपद लखीमपुर, उत्तर प्रदेश है। प्रार्थना पत्र के प्रस्तर–5 में यह उल्लेख है कि दिनांक 14.01.2025 को अपनी बड़ी बहन डॉ० कोमल अग्रवाल, पूनम अग्रवाल एवं महावीर प्रसाद के सहयोग से व जानबूझकर गर्भपात करा दिया गया। यदि विपक्षी संख्या–1 उसी दिन अर्थात् 14.01.2025 को अपने मायके चली गयी और मायका कस्बा पलिया, जनपद लखीमपुर बताया गया है, वहाँ पर घटना का वाद कारण थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ में अंशतः घटित होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि गर्भधारण होना या गर्भकाल में अन्यत्र जाना न तो स्वयं में अपराध है, न ही गर्भपात का अपराध कोई सतत् चलने वाला अपराध है। यदि घटना को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार घटित हुआ माना जाये तो इस बात में संदेह नहीं है कि घटना कथित रूप से कस्बा पलिया, जनपद लखीमपुर में घटित हुई। विचारण न्यायालय द्वारा यह भी अभिमत दिया गया कि विपक्षी संख्या–1 प्रार्थना पत्र के प्रस्तर–4 के अनुसार अपने मायके चली गयी, इसलिये थाना ठाकुरगंज में गर्भपात सम्बन्धी अपराध के सम्बन्ध में आंशिक क्षेत्राधिकार उत्पन्न होने का कोई कारण उपस्थित नहीं है। तदनुसार, प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.09.2025 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दिया गया।

अभिलेख का अवलोकन करने पर यह तथ्य निर्विवाद रूप से परिलक्षित होता है कि स्वयं निगरानीकर्ता के कथनानुसार विपक्षी संख्या–2 दिनांक 14.01.2025 को अपने मायके पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी चली गई थी तथा कथित गर्भपात उसी के उपरांत कराया गया। प्रार्थना पत्र में गर्भपात की वास्तविक घटना, उसका स्थान अथवा उससे संबंधित किसी प्रत्यक्ष कृत्य के लखनऊ में घटित होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

वस्तुतः, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधानों के अनुसार सामान्यतः वही न्यायालय अथवा थाना सक्षम होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में अपराध घटित हुआ हो। जहाँ किसी अपराध का कोई भाग विभिन्न स्थानों पर घटित हुआ हो, वहाँ संबंधित प्रत्येक क्षेत्र को अधिकार प्राप्त हो सकता है। तथापि ऐसे अधिकार क्षेत्र के लिए प्रथम दृष्ट्या यह प्रदर्शित होना आवश्यक है कि अपराध का कोई आवश्यक तत्व अथवा उससे संबद्ध कोई आपराधिक कृत्य उस क्षेत्र में घटित हुआ है।

प्रस्तुत मामले में केवल यह तथ्य कि विपक्षी संख्या–2 लखनऊ से अपने मायके गई, अपने आप में किसी आपराधिक षड़यंत्र अथवा गर्भपात संबंधी अपराध का घटक तत्व सिद्ध नहीं करता। निगरानीकर्ता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि कथित गर्भपात का वास्तविक स्थान उसे ज्ञात नहीं है। ऐसी स्थिति में मात्र अनुमान अथवा आशंका के आधार पर थाना ठाकुरगंज, लखनऊ का क्षेत्राधिकार स्थापित नहीं माना जा सकता। निगरानीकर्ता का यह तर्क कि गर्भपात कराने का

षड़यंत्र लखनऊ में रचा गया, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि षड़यंत्र संबंधी तर्क तभी विधिमान्य हो सकता है, जब अभिलेख पर ऐसे तथ्य उपलब्ध हों, जिनसे षड़यंत्र का निर्माण, सहमति अथवा उसका कोई क्रियात्मक भाग लखनऊ में घटित होना प्रथम दृष्ट्या प्रदर्शित होता हो, किन्तु अभिलेखगत सामग्री के अवलोकन पर उसमें ऐसे किसी विशिष्ट तथ्य की उपलब्धता परिलक्षित नहीं होती है। इस संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा उद्धृत विधि व्यवस्था प्रकरण के तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होती है।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर निकाला गया यह निष्कर्ष कि कथित अपराध का वाद कारण लखनऊ में उत्पन्न होना प्रथम दृष्ट्या प्रदर्शित नहीं है, अभिलेखगत सामग्री के अनुरूप एवं विधिसंगत है, जिसमें ऐसी कोई विधिक त्रुटि, अनियमितता अथवा क्षेत्राधिकारविहीनता परिलक्षित नहीं होती, जिससे निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक हो। तदैव, प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी **निरस्त** की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.09.2025 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय/आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ

दिनांकः 15.06.2026

यह निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(मलखान सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ

दिनांकः 15.06.2026

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.07.01 12:57:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court